मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

जगदीश बनाम हरदयाल आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 146/2021

निर्णय दिनांक :– 8-11-2021

वादी की ओर से वकील अमित रेहडू की व प्रतिवादी सं० 1 ता की ओर से वकील प्रदीप सहारण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 8-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा रामपुरा के खाता सं. 112/109 के खसरा सं. 16 की 0.202 है०, खसरा सं. 26 की 9.725 है०, खसरा सं. 27 की 12.634 है० खसरा सं. 75 की 2.175 है०, खसरा सं. 119 की 3.642 है० खसरा सं. 124 की 2.997 है० कुल 31.375 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं. 1 हरदयाल के नाम 5/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं. 1 हरदयाल अकेले के बजाए वादी जगदीश व प्रतिवादी सं. 1 हरदयाल, प्रतिवादी सं. 5 बलवन्त, प्रतिवादी सं. 6 राजेन्द्र प्रसाद को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 5, 6 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क अदा करेंगे व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 8.11.21 को मेरे हस्ताक्षर [illegible] मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:56:15 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी)
(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
प्र.गा. के संग अ.-2021
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner